न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–70/2010/टोंक (2010/00001)

1. गोपाल पुत्र बजरंगा,
2. लादू पुत्र कजोड़,
3. कैलाश पुत्र कानाराम,
4. लालाराम पुत्र गोपाल,

समस्त जाति धाकड़, निवासी ग्राम दौलता, तह0 देवली, जिला टोंक ।

अपीलांट्स

बनाम

1. निरजरा पुत्र रामदयाल, जाति ब्राह्मण,
2. सुरेश पुत्र रामदयाल (मृतक) जरिये वारिसानः–
   2/1– रामा शर्मा पत्नि सुरेश,
   2/2– विनय पुत्र सुरेश,
   2/3– प्रद्युमन पुत्र सुरेश,
   2/4– मनीषा पुत्री सुरेश,
3. सत्यव्रता पुत्र रामदयाल,
4. लाड बाई पुत्री रामदयाल,
5. बीजा बाई पुत्री रामदयाल,

जाति ब्राह्मण, निवासी पनवाड, तह0 देवली, जिला टोंक ।

6. कोशल पुत्र भंवरलाल, जाति ब्राहम्ण,
7. अशोक पुत्र कांती चंद,
8. शंकर पुत्र कांती चंद,

समस्त निवासी ग्राम पनवाड, तह0 देवली, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंट्स

9. किशनी विधवा कानाराम **(मृतक) (नाम तर्क)**
10. ईशर सपुत्र दुर्गालाल,
11. ओम पुत्र दुर्गालाल,
12. ओमदत्त पुत्र दुर्गालाल,
13. मदनलाल पुत्र बंशीधर,

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी टोडारायसिंह, जिला टोंक ।

।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक दिनांक 15.4.2010 अंतर्गत अपील संख्या 7/2007.

उपस्थितः–

1. श्री रोहित सोनी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा, वकील रेस्पोडेंटस ।

निर्णय

दिनांक :– 15.2.2018

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.4.2010 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 ने ने नायब तहसीलदार, देवली द्वारा संस्थित नामांतकरण संख्या 16 दिनांक 15.7.1993 के विरूद्ध प्रथम अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक के समक्ष प्रस्तुत की गई । विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक ने निर्णय दिनांक 15.4.2010 द्वारा अपीलांटस की अपील अपास्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि तहसीलदार, देवली ने नामांतकरण संख्या 16 दिनांक 15.7.1993 अपीलांटस को नोटिस दिये बिना पारित किया है जबकि अपीलांटस ने विवादित आराजियात खसरा नंबर 381 रकबा 0.6 है0 पुराना खसरा नंबर 149/3, 150, 151, 153 एवं 155 ग्राम माधोसिंहपुरा को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 5.8.1982 को खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था । अधी0न्याया0 ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत नामांतकरण संख्या 16 तस्दीक किया है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने निर्णय व डिक्री दिनांक 4.8.1967 की पालना में 12 वर्ष की अवधि के बाद नामांतकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता था। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में यह भी कथन किया कि तहसीलदार ने नामांतकरण संस्थित करने से पूर्व विवादित भूमि के मौके एवं कब्जे की जांच किये बिना नामांतकरण आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध है जबकि आराजियात पर अपीलांटस का कब्जा है ना कि रेस्पोडेंटस का । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर तहसीलदार, देवली द्वारा संस्थित

नामांतकरण संख्या 16 दिनांक 15.7.1993 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.4.2010 अपास्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने जवाब बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि तहसीलदार, देवली द्वारा नामांतकरण संख्या 16 सहायक जिलाधीश एवं प्रथम श्रेणी दण्डनायक, टोंक के निर्णय व डिक्री दिनांक 4.8.1967 की पालना में संस्थित किया गया है जिसे धारा 75 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत आक्षेपित नहीं किया जा सकता है । विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक ने इसी कारण अपीलांटस की अपील अपास्त की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक बार यदि डिक्री का निष्पादन हो जाता है तो उस निर्णय व डिक्री को सक्षम न्यायालय से अपास्त कराये बिना अपीलांटस किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते है । अपीलांटस ने निर्णय व डिक्री दिनांक 4.8.1967 के विरूद्ध तथा इजराय की कार्यवाही को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में यह भी कथन किया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 4.8. 1967 राजीनामे के आधार पर पारित की गई थी । अतः मदनलाल, दुर्गालाला उक्त डिक्री को आक्षेपित करने से एस्टोप्ड थे । उपखण्ड अधिकारी, टोंक एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक न तो इजराय न्यायालय है एवं न ही डिक्री पारित करने वाला न्यायालय है । अतः इजराय की कार्यवाही के अंतर्गत डिक्री के अनुरूप डिक्री की पालना में भरे गये उक्त नामांतकरण संख्या 16 दिनांक 15.7.1993 को उक्त न्यायालयों में आक्षेपित नही किया जा सकता था । विद्वान वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि मदनलाल, दुर्गालाल ने अपने हिस्से की भूमि के विक्रय के समय रजिस्ट्री में रामदयाल आदि की भूमि का भी उल्लेख कर दिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नही था । रामदयाल आदि की भूमि के बाबत् किया गया विक्रय निष्प्रभावी एवं अकृत है क्योंकि रामदयाल आदि को न तो डिक्री दिनांक 4.8.1967 से खातेदारी प्राप्त हुई एवं ना ही उनका कब्जा काश्त ही था । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । नामांतकरण संख्या 16 दिनांक 15.7.1993 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामांतकरणस ंख्या 16 सहायक कलक्टर, प्रथम, टोंक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4.8.1967 की पालना में संस्थित किया गया है । राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (1) (F) सपठित धारा 135 के अधीन भू–अभिलेख से संबंधित मामलों में भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा के विरूद्ध न्यायालय हाजा को अपील सुनने का क्षैत्राधिकार जबकि विवादित नामांतकरण संख्या 16 दिनांक 15.7.1993 का मूल आधार न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक

4.8.1967 है तथा इस मूल आदेश की पालना में खोला गया नामांतकरण सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का Extension व Execution है एवं ऐसे मूल आदेश की अपील सुनने का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने से सक्षम न्यायालय में ही चुनोती दी जा सकती है । विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक ने उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलांट्स की अपील अपास्त की है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स अपास्त योग्य एवं विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.4.2010 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 70/2010 (2010/00001) बउनवानी गोपाल बनाम निरजरा व अन्य को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक द्वारा अपील संख्या 7/2007 बउनवान गोपाल बनाम रामदयाल में पारित निर्णय दिनांक 15.4.2010 एवं तहसीलदार, देवली द्वारा संस्थित नामांतकरण संख्या 16 दिनांक 15.7. 1993 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 15.2.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर